

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) →

यह योजना 2000-2001 ई० में पूरे देश में लागू की गयी और इसमें सभी प्रमुख सरकारी शैक्षिक पहल को शामिल किया गया। इस अभियान के अन्तर्गत राज्यों की भागीदारी से 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना को अल बिहारी नाजपैयी की सरकार ने शुरू की थी। इसका लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था। भारतीय संविधान की 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है।

पृष्ठभूमि →

- 1- संवैधानिक अध्यादेश 1950 " संविधान के सेवा आरम्भ से दस साल के भीतर राज्य, जब तक बच्चे 14 साल पूरा नहीं करते हैं तब तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुईया करवाएगा।"
- 2- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 " यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 वर्ष के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी।"
- 3- उन्नीसवाँ फेसला, 1993 " इस देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु/नागरिक के पास मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होता है।" उपास्थिति कम होने के चलते मध्यम योजना (MIDM) की शुरुआत की गयी थी।

लक्ष्य →

- 1- 2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूल में सभी बच्चों का स्कूल में लेना।
- 2- 2007 तक सभी बच्चों द्वारा पाँच साल के प्राथमिक स्कूल शिक्षा पूरा करना।
- 3- 2010 तक सभी बच्चों का 8 साल स्कूली शिक्षा पूरा करना।
- 4- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता में प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना।
- 5- 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्राथमिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अन्तर्ग को समाप्त करना।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अनुसार उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है जहाँ स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है और अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, पीने का पानी, रख रखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूलों की बुनियादी ढाँचे में विकास करना। जिन स्कूलों में अपूर्ण शिक्षक हैं उनमें अतिरिक्त शिक्षक भुहैया कराना है। सर्व शिक्षा अभियान, जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। SSA द्वारा लड़कियों व विधिवत आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप

से ध्यान केंद्रित किया जाता है। SSA डिजिटल अंतराल को खत्म करने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयास करता है।

गतिविधियाँ →

* नागरिक बुनियादी सुविधाओं का विकास और सुधार

इसमें कक्षा निर्माण, पानी की सुविधा, परिसर की दीवार, अलग करने वाले दीवार, विद्युतीकरण और सिविल मरम्मत और मौजूदा सुविधाओं का पुनर्निर्माण शामिल है क्योंकि गाँव के अधिकांश स्कूल दयनीय स्थिति और असुरक्षित हालत में हैं। स्थानीय सरकारी निकायों और पीपीएफ (पैरेन्ट टिचर्स एसोसिएशन) की मदद से सिविल निर्माण कार्य किये जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक स्तरों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए स्कूल में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने को महत्वपूर्ण मानता है। विद्यालय की सुविधा सुधार के अलावा, मौजूदा स्कूल सुविधाओं के नजदीक ही CRC और BRC का निर्माण किया जाता है।

* शिक्षक प्रशिक्षण → SSA की प्रमुख पहल है प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा पद्धति, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, मूल्यांकन पद्धति और अभिभावक प्रशिक्षण पर सतत शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण को प्राथमिक शिक्षकों के चयनित शिक्षक समूह को दी जाती है।

सर्व शिक्षा अभियान में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका →

यह अभियान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत (अन्दर) सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन, उद्योग तथा गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही सामाजिक विषमता तथा लिंग भेद को भी दूर करना है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता की अनिवार्यता को जोरदार ढंग से रखा गया है। इसमें ऐसी व्यवस्था की गयी है जिसमें प्राथमिक तथा मध्य स्कूलों का स्वामित्व समुदाय के पास हो तथा इन विद्यालयों की कुछ हद तक पंचायतों के प्रति जिम्मेदार बनाया जाय। सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी इसमें कई व्यवस्था की गई है। प्रत्येक विद्यालय में ग्राम शिक्षा समिति का एक ऐसी ही व्यवस्था है।